

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

—: परिपत्र :—

क्रमांक : ०३ / दो-२२-३/६२

सागर, दिनांक : १२/२/२०२४

प्रायःदेखने में आ रहा है कि सागर एवं बाह्य तहसील न्यायालयों में पदस्थ कतिपय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अवकाश आवेदन प्रस्तुत कर, बिना अनुमति, स्वीकृति के अवकाश पर प्रगमन कर मुख्यालय से प्रस्थान किया जाता है तथा उनके द्वारा अर्जित अवकाश के आवेदन म0प्र0 अर्जित अवकाश के आवेदन अवकाश नियम 1977 के नियम 13 (2) के अनुसार 21 दिन (03 सप्ताह) पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं और अर्जित अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उपभोग किया जा रहा है जो उचित नहीं है।

अतः समस्त कर्मचारी गण को निर्देशित किया जाता है कि वह अवकाश नियम के अनुसार अर्जित अवकाश के आवेदन 21 दिन पूर्व प्रस्तुत करें एवं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने के बाद स्वीकृति के पश्चात ही अवकाश पर प्रगमन करें।

आदेश पालन नहीं किये जाने पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चत की जावेगी।

तत्काल प्रभावशील।

५०-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर

सागर, दिनांक : १३/२/२०२४

प्रतिलिपि:-

1— समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग सागर एवं बाह्य तहसील न्यायालयों की ओर मुख्यालय पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मध्य परिचालित करवाये जाने हेतु प्रेषित।

2— समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण सागर एवं बाह्य तहसील न्यायालयों की सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

2— लेखापाल/प्रेषक लिपिक/अवकाश लिपिक की ओर ओर सूचनार्थ।

3— जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय सागर की ओर समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य ईमेल के माध्यम से भिजवाये जाने हेतु प्रेषित।

D/C

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर